राजस्थान सरकार
न्याय विभाग

क्रमांकः पं. 4(1) राजकॉम्प प्रोजेक्ट / न्याय / 2021/45 जयपुर, दिनांक : 08.02.2022

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव /
   शासन प्रमुख सचिव / शासन सचिव
2. समस्त विभागाध्यक्ष
3. जिला कलक्टर
   (जिला नोडल अधिकारी, लाईट्स)

विषयः— लाईट्स सॉफ्टवेयर में दर्ज न्यायिक प्रकरणों की सूचनाओं को सर्वसाधारण (Public) हेतु प्रदर्शित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

इस कार्यालय के पत्रक्रमांक पं. 4(1) राजकॉम्प प्रोजेक्ट / न्याय / 2021 / 20 दिनांक 13.01.2022 के माध्यम से अवगत कराया गया था कि आम नागरिकों की सुविधा हेतु लाईट्स सॉफ्टवेयर में राज्य सरकार के विभागों द्वारा दर्ज न्यायिक प्रकरणों की सूचनाओं को (http://lites.law.rajasthan.gov.in) पर Case information:>Case List में प्रकरण के लम्बित होने की स्थिति में आगामी सुनवाई की तिथि तथा प्रकरण के निर्णीत होने की दशा में निर्णय की दिनांक भी प्रदर्शित की जा रही है।

उक्त सूचना को विस्तृत करते हुए इसे प्रदर्शित करने में आंशिक परिवर्तन किया गया है। अगर प्रकरण ड्यू कोर्स में है तो उसे ड्यू कोर्स प्रदर्शित करने की सुविधा प्रारम्भ की गई है। प्रकरण के निर्णीत होने की दशा में निर्णय की दिनांक भी प्रदर्शित की जा रही है।

उक्त वर्णन के परिप्रेक्ष्य में आपसे अनुरोध है, न्यायिक प्रकरणों से संबंधित सूचनाओं का इन्द्राज / अद्यतन सम्यक रूप से करने के लिए संबंधित अधिकारियों / कर्मचारियों को निर्देशित करने का श्रम करें, जिससे जनसाधारण को न्यायिक प्रकरणों की अद्यतन सूचना लाईट्स सॉफ्टवेयर पर नियमित रूप से प्राप्त हो सके।

भवदीय

शासन विशिष्ट सचिव